

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 1014/2013)

(संस्थित दिनांक :- 31/10/13)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. रामनिवास सिंह गुर्जर पुत्र मलखान सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष।  
निवासी :- नाईपुरा वार्ड क्रमांक 05 रिठौरा कलां, थाना-रिठौरा, जिला-मुरैना (म.प्र.)।  
..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक :- 23/01/2017 को घोषित )

01. आरोपी रामनिवास पर धारा :- 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 05/09/2013 को दोपहर लगभग 01:00 बजे नोवा फैक्ट्री के सामने सिंघवारी रोड़ मालनपुर में, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर का तथा एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने पास रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 05/09/2013 को नगर निरीक्षक शेर सिंह, ए.एस.आई. राधेश्याम जाट, एवं आरक्षक चालक दिनेश शर्मा मय शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.03/6140 से कस्बा मालनपुर में भ्रमण हेतु रवाना हुये थे। भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नोवा फैक्ट्री गोदाम के सामने सिंघवारी रोड़ मालनपुर पर रामनिवास गुर्जर पुत्र मलखान सिंह गुर्जर, निवासी :- ग्राम रिठौरा, मुरैना वारदात करने की नियत से अवैध हथियार लिये खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर तश्दीक हेतु मय फोर्स गवाहन विनोद शर्मा को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुँचा तो उक्त व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागा, जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। उक्त व्यक्ति की साक्षीगण के समक्ष तलाशी नगर निरीक्षक शेर सिंह द्वारा ली जाने पर आरोपी के पेंट में बाईं तरफ एक 315 बोर का कट्टा मय कारतूस लगा मिला। आरोपी से उक्त आयुध को रखने के संबंध में लाइसेंस वावत् पूछे जाने पर आरोपी ने कोई लाइसेंस ना होना व्यक्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से साक्षीगण के समक्ष आरोपी से मौके पर 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस विधिवत्

जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय आरोपी एवं जब्तशुदा माल के थाने वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2013 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचक राधेश्याम जाट द्वारा साक्षी आरक्षक दिनेश शर्मा एवं डब्लू उर्फ विनोद शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त रामनिवास के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी रामनिवास ने दिनांक : 05/09/2013 को दोपहर लगभग 01:00 बजे नोवा फैक्ट्री के सामने सिंघवारी रोड़ मालनपुर में, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर का तथा एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने पास रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी शेर सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/09/2013 को पुलिस थाना मालनपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह रोजनामचा सान्हा क्रमांक 169 में रवानगी अंकित कर मयफोर्स ए.एस.आई. राधेश्याम जाट, चालक दिनेश शर्मा मय शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.03/6140 से कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुये थे। साक्षी आगे कहता है कि कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नोवा फैक्ट्री गोदाम के सामने सिंघवारी रोड़ मालनपुर पर रामनिवास गुर्जर पुत्र मलखान सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम

रिठौरा, मुरैना का वारदात करने की नियत से अवैध हथियार लिये खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर तश्दीक हेतु मय फोर्स गवाह विनोद शर्मा को साथ लेकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचा, तो उक्त व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागा, जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी की तलाशी लेने पर उक्त व्यक्ति के पेंट में बाईं तरफ एक 315 बोर का कट्टा खुरसा मिला, जिसे खोलकर देखने पर उसके चैम्बर में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। आरोपी से कट्टा एवं कारतूस को रखने के संबंध में लाइसेंस चाहा, तो उसने लाइसेंस ना होना व्यक्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से उसके द्वारा आरोपी से साक्षीगण विनोद शर्मा एवं दिनेश शर्मा के समक्ष मौके पर ही कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा साक्षीगण के समक्ष आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाने वापस लाया था, जहाँ उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा में वापसी इन्द्राज की गई, रोजनामचा सान्हा की वापसी की कॉर्बन प्रति प्र.पी.05 है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2013 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् प्रकरण की अग्रिम विवेचना उसके द्वारा एसआई राधेश्याम को सौंप दी थी। साक्षी द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह भी व्यक्त किया गया कि अभिसाक्ष्य के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए-01 का कट्टा एवं आर्टिकल ए-02 का 315 बोर का जिंदा कारतूस, वही कट्टा एवं कारतूस है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में शेर सिंह अ.सा.06 का कहना है कि वह थाने से करीब साढ़े ग्यारह बजे निकला था और उसे मुखबिर द्वारा सूचना हनुमान चौकी के पास मोबाइल पर मिली थी। वह इलाका भ्रमण पर गया हुआ था, इसलिए उक्त सूचना की रिपोर्ट रोजनामचा में नहीं डाली गई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसे आरोपी नोवा फैक्ट्री के गोदाम के सामने सिंघवारी रोड़ पर मिला था। आरोपी आयुध को पेंट में बाईं तरफ खुरसे हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि उसने आरोपी को पकड़ते समय अपनी तलाशी इसलिए नहीं दी थी, क्योंकि यदि वह आरोपी को तलाशी देता तो आरोपी उसके पास मौजूद हथियार से उसे घातक चोट पहुँचा सकता था। इसलिए उसने अपनी एवं अपने फोर्स की तलाशी देना उचित नहीं समझा। इस प्रकार शेर सिंह अ.सा.06 द्वारा रवानगी की सूचना रोजनामचा में ना डालने एवं जब्ती के समय आरोपी को स्वयं की एवं स्वयं के साथ मौजूद फोर्स की तलाशी न देने का कारण सद्भाविक प्रतीत होता है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में शेर सिंह अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में कट्टे की बैरल की

लम्बाई 15 इंच, बट की लम्बाई 08 इंच एवं जब्तशुदा कट्टे की सम्पूर्ण लम्बाई 27 इंच लिखी है। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि उक्त सभी स्थानों पर सहवन से से.मी. मानक के स्थान पर इंच लिख गया है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसमें आरोपी से जब्तशुदा कट्टा आर्टिकल ए-01 की बैरल की लम्बाई 15 इंच, बट की लम्बाई 08 इंच एवं कट्टे की सम्पूर्ण लम्बाई 27 इंच लिखी हुई है। उल्लेखनीय है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में जो जब्तशुदा कट्टे का अवश बना हुआ है उसके अवलोकन से जब्तशुदा कट्टे की बैरल की लम्बाई लगभग 15 से.मी., बट की लम्बाई लगभग 08 से.मी. एवं कट्टे की सम्पूर्ण लम्बाई लगभग 27 से.मी. होना दर्शित होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि आयुध परीक्षक राजकिशोर अ.सा.03 द्वारा दी गई आयुध परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 में उसके प्रेषित जांचशुदा कट्टा की बैरल की लम्बाई 6.2 इंच अर्थात् लगभग 15 से.मी., बट अर्थात् ग्रिप की लम्बाई 3.2 इंच अर्थात् लगभग 08 से.मी. एवं कट्टे की सम्पूर्ण लम्बाई 10.5 इंच अर्थात् लगभग 27 से.मी. उल्लेखित है। उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि निश्चय ही शेर सिंह अ.सा. 06 द्वारा त्रुटिवश से.मी. के स्थान पर इंच लिख दिया गया है। इस वावत् दिया गया शेर सिंह अ.सा.06 का स्पष्टीकरण पूर्णतः सद्भाविक एवं सत्य प्रतीत होता है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में शेर सिंह अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में बने जब्तशुदा कट्टे के ट्रिगर की आकृति एवं न्यायालय में प्रस्तुत कट्टे आर्टिकल ए-01 के ट्रिगर में अन्तर है। शेर सिंह अ.सा.06 की साक्ष्य के दौरान न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत जब्तशुदा कट्टे आर्टिकल ए-01 का अवलोकन करने से यह दर्शित हुआ कि आर्टिकल ए-01 के ट्रिगर एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर बनी उसकी आकृति में मामूली सा अंतर है, जो कि आकृति बनाते समय कलम पकड़ने के ढंग से आना संभव है। इसलिए मात्र जब्तशुदा आयुध के ट्रिगर की आकार एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में बने उसके ट्रिगर की आकृति में मामूली अंतर से, यह नहीं माना जा सकता कि जब्तशुदा कट्टा एवं न्यायालय में जब्तशुदा कट्टे के रूप में प्रस्तुत आर्टिकल ए-01 पृथक-पृथक थे और जब्तशुदा कट्टा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में शेर सिंह अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती कारतूस आर्टिकल ए-02 की पैदी अर्थात् तल भाग पर क्या लिखा है, इसका उल्लेख उसके द्वारा जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में नहीं किया गया। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर जब्तशुदा कारतूस आर्टिकल ए-02 के तल भाग पर कुछ लिखा हुआ है, अथवा नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय है कि मात्र इस तथ्य का उल्लेख ना होने से कि जब्तशुदा आयुध के तल भाग पर क्या लिखा है, अभियोजन कथा को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। प्रति-परीक्षण के इसी पद क्रमांक में शेर

सिंह अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों से इन्कार किया है कि उसके द्वारा आरोपी से कोई कट्टा एवं कारतूस जब्त नहीं किया गया तथा उसने आरोपी के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर की है। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरांत भी शेर सिंह अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है और शेर सिंह अ.सा.06 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा तैयार किये गये जब्ती पत्रक प्र.पी.01, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है।

12. साक्षी आरक्षक दिनेश शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/09/2013 को थाना मालनपुर में आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को टी.आई. शेर सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नोवा फैंक्ट्री गोदाम के सामने एक व्यक्ति अवैध हथियार लिये खड़ा है, वह आतंक के उद्देश्य से खड़ा हुआ है। साक्षी आगे कहता है कि सूचना मिलने पर टी.आई.साहब शासकीय वाहन के साथ एसआई राधेश्याम जाट तथा विनोद शर्मा के साथ बताये स्थान पर पहुँचे, तो वहाँ एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। साक्षी आगे कहता है कि तभी टी.आई.साहब ने कहा कि इस व्यक्ति को पकड़ो, वह यहीं व्यक्ति है, तभी पूरी फोर्स ने उसे मिलकर पकड़ा। आरोपी पेन्ट-शर्ट पहने हुये था, फिर उसकी कमर में बाईं तरफ से एक कट्टा लोडेड हालत में मिला था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी का नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम रामनिवास गुर्जर पुत्र मलखान सिंह गुर्जर, ग्राम रिठौरा का होना बताया था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में दिनेश शर्मा अ.सा.01 का दिनांक : 22/09/2014 को कहना है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं पहचानता, फिर कहा कि सफेद टी-शर्ट पहने हुये वह वहीं व्यक्ति है, फिर कहा कि क्योंकि घटना को काफी समय हो गया है, इसलिए नहीं पहचान सकता। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 05/09/2013 की है और घटना से साक्षी दिनेश अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अंकित किये जाने के मध्य लगभग एक वर्ष का अन्तर है। साक्षी एक पुलिसकर्मी है, जिसके समक्ष प्रतिदिन बहुत से आरोपी आते हैं। एक वर्ष की अवधि के पश्चात् किसी व्यक्ति को देखने पर एकदम सटीकता से उसे पहचानना किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्णतः संभव नहीं है, जिसे कि उक्त साक्षी ने घटना के समय पहली बार देखा हो और उसके बाद कभी नहीं देखा हो। इसलिए साक्षी दिनेश अ.सा.01 द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी को सटीकता के साथ ना पहचानने मात्र से इस वावत् दिनेश अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य खण्डित नहीं होता है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में दिनेश शर्मा अ.सा.01 का कहना है कि आरोपी के पास एक ही कारतूस था, जो कट्टे में लगा हुआ था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में दिनेश अ.सा.01 का कहना है कि उसने जब्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा पर घटनास्थल पर ही टी.आई. साहब अर्थात् शेर सिंह अ.सा.06 के पश्चात् हस्ताक्षर कर दिये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में दिनेश शर्मा अ.सा.01 का कहना है कि उसका कथन एएसआई राधेश्याम जाट द्वारा थाने पर लिया गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में दिनेश शर्मा अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह लोग आरोपी रामनिवास के पिता मलखान को उसके कमरे पर देखने गये थे, वहाँ पर आरोपी रामनिवास पुलिस वालों को मिल गया था और वहीं से आरोपी को टी.आई.शेर सिंह अ.सा.06 द्वारा पकड़ लिया गया।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में दिनेश शर्मा अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि जिस कागज पर टी.आई.शेर सिंह अ.सा.06 हस्ताक्षर करने को कह देते हैं, उस पर वह हस्ताक्षर कर देता है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार दिनेश शर्मा अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपित अपराध के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। दिनेश शर्मा अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके समक्ष बनाये गये जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र. पी.02 के तथ्यों से हो रही है। दिनेश अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से शेर सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है।

16. अभियोजन साक्षी राधेश्याम जाट अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/09/2013 को थाना मालनपुर में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 193/13 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में अभियुक्त रामनिवास गुर्जर के संबंध में एफआईआर एवं केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने साक्षी डब्लू उर्फ विनोद शर्मा एवं आरक्षक क्रमांक 1028 दिनेश शर्मा के उनके बताए अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे, जिसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस जांच कराकर, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर चालान कार्यवाही की गई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में राधेश्याम अ.सा.04 का कहना है कि आरक्षक दिनेश अ.सा.01 का कथन उसने थाने पर लिया था। आरक्षक दिनेश अ.सा.01 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में भी यही कहना है कि राधेश्याम जाट अ.सा.04 ने उसका कथन थाने पर लिया था। राधेश्याम अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरक्षक दिनेश का कथन उसने अपने मन से लिख लिया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में राधेश्याम अ.सा.01 का कहना है कि उसने अभियोजन स्वीकृति के लिए आयुध किस तारीख को भेजा था, उसे याद नहीं है। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा कि आवक-जावक देखकर बता सकता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में राधेश्याम अ.सा.04 का कहना है कि अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रेषित कारतूस पर क्या लिखा

था, उसे नहीं मालूम, क्योंकि कारतूस एवं कट्टा सीलबंद थे, जो कि शेर सिंह अ.सा.06 द्वारा सीलबंद किये गये थे। उल्लेखनीय है कि आयुध परीक्षक राजकिशोर अ.सा.03 का भी मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि उसे कट्टा एवं कारतूस एक सफेद कपड़े में सीलबंद अवस्था में जांच हेतु प्राप्त हुये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में राधेश्याम अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह न्यायालय में फाईल देखकर असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार राधेश्याम अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा की गई प्रकरण की विवेचना के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है।

17. साक्षी योगेन्द्र सिंह कुशवाह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 08/10/2013 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 729, दिनांक : 07/09/2013 द्वारा थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 193/2013 से संबंधित केस डायरी एवं सील बंद आयुध आरक्षक क्रमांक 305 भानुप्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री एम.सिवि.चक्रवर्ती द्वारा अभियुक्त रामनिवास पुत्र मलखान सिंह गुर्जर, निवासी : रिठौरा कलां वार्ड क्रमांक 05, के आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त स्वीकृति प्र.पी.03, जिसके सी से सी एवं डी से डी भाग पर तत्कालीन जिलादण्डाधिकारी एम.सिवि.चक्रवर्ती के हस्ताक्षर है तथा ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसने श्री एम.सिवि.चक्रवर्ती के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर को पहचानता है। साक्षी योगेन्द्र सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है। योगेन्द्र सिंह का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी रामनिवास गुर्जर के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

18. साक्षी राजकिशोर अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 09/09/2013 को पुलिस लाईन भिण्ड में प्रधान आरक्षक आर्म्स मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 193/13 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जब्तशुदा एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस की जाँच उसके द्वारा की गई थी। जाँच के दौरान कट्टे का एक्शन चैक किया, एक्शन सही पाया गया। कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। 315 बोर का जिंदा राउण्ड चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। कारतूस की पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ. लिखा था। साक्षी आगे कहता है कि उसे थाना मालनपुर से आरक्षक 1027 प्रदीप सिंह के द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर, पंचनामा एवं एफआईआर जब्ती की नकल साथ में प्राप्त

हुई थी। कट्टा एवं कारतूस एक साथ एक सफेद कपड़ा में सीलबंद जॉच हेतु प्राप्त हुये। तत्पश्चात् बाद जांच कर उसने अपनी नमूना सील लगाकर उसी कपड़ा में पुनः सीलबंद कर थाना वापस किया गया। साक्षी आगे कहता है कि इस वावत् उसके तैयार की गई जॉच रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राजकिशोर अ.सा.03 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रति परीक्षण उपरांत भी राजकिशोर अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। राजकिशोर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और आरोपी से जब्तशुदा 315 बोर का जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

19. जब्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी विनोद शर्मा अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना दर्शित किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ढ ाषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके समक्ष आरोपी रामनिवास से कोई कट्टा एवं कारतूस जब्त होने एवं आरोपी को गिरफ्तार किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

20. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी रामनिवास ने दिनांक :- 05/09/2013 को दोपहर लगभग 01:00 बजे नोवा फैक्ट्री के सामने सिंघावारी रोड़ मालनपुर में, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक कट्टा 315 बोर का तथा एक 315 बोर का जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने पास रखा।

### अन्तिम निष्कर्ष

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी रामनिवास के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी रामनिवास को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) से दोषसिद्ध किया जाता है।

22. आरोपी रामनिवास को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी रामनिवास द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में अवैध हथियार धारण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

23. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद



पुनश्च:-

24. आरोपी रामनिवास के विद्वान अधिवक्ता श्री उदल सिंह गुर्जर को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता श्री गुर्जर का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा-लिखा गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का युवा व्यक्ति है, यह उसका प्रथम अपराध है। वह अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। आरोपी अधिवक्ता के तर्क सदभाविक प्रतीत न होने के कारण अस्वीकार किये गये एवं आरोपी रामनिवास को धारा 25(1-B(a)) आयुध अधिनियम के अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी रामनिवास द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में उसे 15 दिन का सश्रम कारावास, मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक भुगताये जाये।

25. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

26. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27. प्रकरण में आरोपी रामनिवास से जब्तशुदा कट्टा एवं जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद